न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

M. Rev No.-21/2020-21

पंचा देवी वगैरह

बनाम

उत्तम कुमार घोष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी, यदि कोई सहित
1	2	3

आदेश

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–04/2019–20 पंचा देवी एवं अन्य बनाम उत्तम कुमार घोष एवं अन्य में दिनांक 19.10.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध पंचा देवी, पति स्व0महेश प्रसाद चौधरी एवं अन्य सभी निवसी मोहल्ला मुरकी मां तल्ला, पाकुड़ के द्वारा उत्तम कुमार घोष, पिता–सुधीर कुमार घोष एवं अन्य सभी निवासी मुरकी मां तल्ला, पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा पाकुड़ 128, के दाग सं0–966 के कुल रकवा 00–04–17 धुर जगीन में से अंचल अधिकारी, पाकुड़ के म्युटेशन वाद सं0–567/1972–73 दिनांक 06.10.1973 के द्वारा 00–01–00 धुर जगीन 1. असित कुमार घोष 2. सुधीर कुमार घोष एवं 3. शैलेन्द्र कुमार घोष के नाम म्युटेशन किये जाने के विरूद्ध न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ में अपील दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ द्वारा दिनांक 19.10.2020 को आदेश पारित किया गया कि 48 वर्ष पूराना मामला होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसी आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

रिविजनकर्त्ता का कहना है कि आवेदक के परदादा श्री तारणी प्रसाद चौधरी के द्वारा श्रीमती चन्द्रामती देवी , पति स्व0 गणेश चन्द्र चक्रवर्त्ती से डीड सं0–558/1940 से 00–04–17 धूर जमीन क्रय कर दाखिल खारिज कराकर घर बनाकर वे दखल भोग कर रहे थे।उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा एवं छः पुत्र द्वारा 2016–17 तक लगान दिया गया है। अचानक उनकी जानकारी में आया कि 06.10.1972 को दाखिल खारिज वाद सं0–567/1972–73 से असित कुमार घोष, सुधीर कुमार धोष एवं शैलेन्द्र कुमार घोष सभी पिता–स्व0 ज्योतिन्द्र मोहन घोष के नाम 00–01–00 धुर दाखिल खारिज कर दिया गया है। उनके द्वारा उक्त दाखिल खारिज वाद को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए निम्न तर्क दिया गया :–

(1) कर्मचारी और अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में दाग सं0 का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) म्युटेशन के पूर्व अधिकारी द्वारा किसी कागजात की मांग किये बिना दाखिल खारिज कर दिया गया है, जबकि विपक्षी के पास कोई कागजात भी नहीं है।

(3) म्युटेशन के समय प्रश्नगत भूमि अवेदक नं0–01 के पति एवं नं0–02 से 06 तक के पिता के दखल में थी। उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला।

विपक्षी का कहना है कि यह अपील वाद 46 साल बाद दायर किया गया है जो कानून के अनुसार उचित नहीं है। अचल अधिकारी द्वारा छानबीन कर पूरी तरह संतुष्ट होकर ही

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

दाखिल खारिज किया गया है। इस लिए इस आवेदन को निरस्त किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं विपक्षी के लिखित अभिकथन, संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि वीनापाणि देवी पति भवानी प्रसाद भट्टाचार्य से निबंधित डीड सं0–8078 दिनिांक 29.09.1959 से क्रय कर दखल करने की बात कही गयी है।

चूंकि खतियानी रैयत चन्द्रावती देवी है इसलिए अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन की मांग की गयी कि वीनापाणि देवी को चन्द्रावती देवी से उक्त भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई। अंचल अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 853 दिनांक 06.07.2023 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें वर्णित है कि वर्णित केवाला में चन्द्रावती देवी से वीणापाणि देवी के संबंध का उल्लेख नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रथम पक्ष द्वारा वर्ष 1940 में खतियानी रैयत से भूमि प्राप्त करने के कारण उनका दावा मजबूत है दूसरी तरफ विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि किस प्रकार वीणापाणि देवी को उक्त भूमि प्राप्त हुई। साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा भी विपक्षी को भूमि प्राप्त होने के विरूद्ध कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षी के दावा को खारिज कर दिया जा सके । ऐसी स्थिति में यह मामला म्युटेशन रिविजन से अधिक स्वत्व निर्धारण का मामला प्रतीत होता है। जिसके लिए यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

अतः पचास साल पुराने म्युटेशन को खारिज करने हेतु दाखिल रिविजन आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.31 21:11:16 +05:30
Location: 192.168.59.62

Scanned with OKEN Scanner